गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर।

मानचित्र/वाद अनुभाग

पत्रांक 240 सेक्टर 3क दिनांकः 27-6-22

श्री संगम नरायण श्रीवास्तव व अन्य
पुत्र स्व0 पी0एन0 व अन्य
मुहल्ला–चक जलाल, गोरखपुर।

आपके पत्र दिनांक 26.06.2022 मानचित्र सं0–152/2022 के सन्दर्भ में आपके प्रस्तावित व्यवसायिक भवन निर्माण को मुहल्ला/कालोनी चक जलाल, गोरखपुर भूखण्ड/आराजी/भवन सं0 –45मि0 43 मि0 पर निम्नलिखित शर्तो के साथ अनुमति प्रदान की जाती है। स्वीकृत मानचित्र सलंग्न है।

1–मानचित्र की इस स्वीकृति से किसी भी शासकीय विभाग, स्थानीय निकाय अथवा किसी व्यक्ति से स्वामित्व पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा।

2–जिस प्रयोजना के लिए निर्माण की अनुमति दी जा रही है, भवन उसी प्रयोग में लाया जायेगा। विपरीत प्रयोग उ0 प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा 26 के अधीन दण्डनीय है।

3–उ0 प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा 35 के अन्तर्गत यदि भविष्य में सुधार कार्य हेतु कोई सुधार व्यय मांगा जायेगा तो बिना किसी आपत्ति के देय होगा।

4–जो क्षेत्र भूमि विकास कार्य में उपयुक्त नही होगा वहॉ प्राधिकरण अथवा किसी स्थानीय निकाय का विकास कार्य करने की जिम्मेदारी नही होगी।

5–स्वीकृत मानचित्र का एक सेट निर्माण स्थल पर ही रखना होगा ताकि मौके पर कभी भी जॉच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्र के अनुसार कराया जायेगा।

6–आप भवन निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व प्राधिकरण को कार्य आरम्भ करने की सूचना देंगे।

7–निर्माण के अवधि में यदि स्वीकृत मानचित्र के विरूद्व यदि कोई परिवर्तन आवश्यक है तो उसकी पूर्व अनुमति प्राप्त करने के बाद ही परिवर्तन किया जायेगा।

8–पर्यावरण की दृष्टि से उ0 प्र0 राज्य वन नीति अधिनियम के अन्तर्गत कम से कम 150 पेड़ लगाना अनिवार्य है। स्वीकृत मानचित्र इसके साथ संलग्न है। भवन निर्माण समाप्त होने के साथ एक माह के अन्दर संलग्न रूप में कार्य पूरा होने के प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र दे तथा बिना आज्ञा प्रमाण लिए भवन को प्रयोग में न लायें।

9–प्राधिकरण से अध्यासन (आक्यूपैन्सी) प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही भवन को अध्यासित (आक्यूपायी) करेंगे। इसमें किसी भी शर्त का उल्लंघन उ0 प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम,1973 की धारा 26 अधीन दण्डनीय अपराध होगा।

10–दरवाजे या खिडकियॉ इस तरह से लगाये जायेगे कि जब वह खुले तो उसके पल्ले किसी सरकारी सड़क की ओर बढ़ाव (प्रोजेक्ट) न हो।

11–बिजली की लाइन से 5 फुट के अन्दर कोई निर्माण कार्य नही किया जायेगा।

12–सड़क, सर्विस लेन अथवा सरकारी भूमि पर कोई निर्माण सामग्री (बिल्डिंग मैटेरियल) न रखी जायेगी तथा गन्दे पानी का निकासी पूर्ण प्रबन्ध स्वयं करना होगा।

13–यह मानचित्र उ0 प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 के अन्तर्गत किसी अन्य शर्त (कन्डीशन) के साथ स्वीकृत किये जाते है तो यह शर्त भी मान्य होगी।

14–सड़क पर अथवा बैकलेन में कोई रैम्प अथवा स्टेप्स नही बनाये जायेंगे। यह कार्य अपनी ही भूमि पर करें।

15–सुपरविजन एवं स्पेसिफिकेशन नियम/शर्तो का पालन करना होगा।

16–पक्ष द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र दिनांक 18/06/22 का पालन करना होगा।

17–पार्किंग का प्रयोग पार्किंग में करना होगा।

18–रेन वाटर हारवेस्टिंग एंव सोलर संयत्र का प्राविधान करना होगा।

19–भवष्यि में यदि प्राधिकरण द्वारा किसी शुल्क की मांग की जाती है, तो उसे प्राधिकरण निधि में जमा कराना होगा।

20–प्रदूषण नियत्रंण बोर्ड से प्राप्त अनापत्ति संलग्न है।

21– बिना पूर्णता प्रमाण–पत्र प्राप्त किये भवन संचालित नही किया जायेगा।

संलग्नः स्वीकृत मानचित्र की एक प्रति।

27/6/22

सचिव,
गोरखपुर विकास प्राधिकरण,
गोरखपर।